


समाहरणालय, गढ़वा

(उत्पाद शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1ली अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक के लिए गढ़वा जिला के अनवीकृत/अबन्दोवस्त देशी शराब की 02 (दो) एवं विदेशी शराब (वीयर एव वाईन सहित) की 06(छः) कुल- 08 (आठ) खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 18.04.2017 (मंगलवार) एवं आवश्यकतानुसार अगले प्रत्येक कार्यदिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभाकक्ष, गढ़वा में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा लॉटरी विधि से योग्य आवेदको के मध्य की जायेगी।

बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड राँची के पत्र संख्या- 545, दिनांक- 28.03.2017 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लीए उत्पाद प्रपत्र 127(क) में प्रकाशित बिक्री अधिसूचना ज्ञापांक- 36 ,दिनांक-18.02.2016 में निहित सभी शर्तों, बंधेजो एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालाय के पारित न्याय निर्णय से आबद्ध होकर दिनांक-15.04.2017 के सायं 5:00 बजे तक अपना आवेदन एवं वांछित कागजात निर्धारित आवेदनशुल्क के साथ अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी गढ़वा जिला के बेवसाईट www.garhwa.nic.in पर या किसी भी कार्य दिवस को अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


उपायुक्त
गढ़वा।